भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 798

04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत निधि का आवंटन

+798. श्री राधाकृष्णः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का आकलन किया है कि अमृत**,** स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) जैसी विभिन्न शहरी विकास योजनाओं के अंतर्गत आवंटन किस हद तक निर्वाचित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के बजाय पैरास्टेटल एजेंसियों को निर्देशित किया जा रहा है**;**

(ख) यदि हां**,** तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के लिए किए गए ऐसे आवंटनों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है**;**

(ग) क्या सरकार ने स्थानीय स्वशासन**,** जवाबदेही और सहभागी शहरी नियोजन पर इस अभ्यास के प्रभाव की जांच की है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है कि निर्वाचित नगर निकाय **74**वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यथा परिकल्पित शहरी विकास कार्यों पर वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखें**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम - यू 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे के लिए कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य योजना अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/ज़िलों को निधियां जारी करती हैं।

अमृत 2.0: अमृत 2.0 मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन करने, उनका मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन करने का अधिकार है। अमृत 2.0 दिशा-निर्देश के अनुसार, अनुमोदित राज्य जल कार्य योजना (एसडब्ल्यूएपी) के अनुसार परियोजनाओं की आयोजना, निविदा जारी करना, कार्य सौंपना और इनका कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा किया जाता है। जहाँ यूएलबी के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, वहां विशेष पैरास्टेटल एजेंसियाँ परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती हैं। इसके अलावा, अमृत 2.0 के तहत, निधियों का केंद्रीय हिस्सा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित/जारी/स्वीकृत किया जाता है, न कि पैरास्टेटल एजेंसियाँ/शहरों/शहरी स्थानीय निकायों को। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आगे यूएलबी/पैरास्टेटल एजेंसियाँ को ये निधियां संवितरित करते हैं।

एसबीएम-यू : संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य का विषय है और भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के माध्यम से जल और स्वच्छता सेवाओं के लिए यूएलबी को अधिकार सौंपे गए हैं। देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, उनका निष्पादन और संचालन करना राज्य/शहरी स्थानीय निकायों की ज़िम्मेदारी है। एसबीएम-यू के तहत, राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है, जिसे राज्य कार्य योजना के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार आगे यूएलबी को भेज देती है।

(घ) संविधान के भाग-IXए के अनुच्छेद 243डब्ल्यू में राज्य विधान सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करें, जिससे ये स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। इस कानून के तहत नगर पालिकाओं को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दिए जाने संबंधी प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं, बर्शेते कि यह निर्धारित शर्तों के अधीन हो, अन्य बातों के साथ-साथ इसमें (i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना; और (ii) बारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाओं को शामिल करते हुए, उन्हें सौंपे गए कार्यों का निष्पादन और योजनाओं का कार्यान्वयन भी शामिल है। इसलिए, राज्य सरकार की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह यूएलबी को 3एफ (फंक्शन, फंड एंड फंक्शनरी) हस्तांतरित किए जाने के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रमुख मिशनों जैसे कि अमृत के तहत सुधार आधारित वित्तपोषण शुरू किया है। मिशन में ई-शासन, नगर पालिका कैडर का गठन और इसे पेशेवर बनाया, डबल एंट्री अकाउंटिंग को बढ़ाना, शहरी नियोजन और शहरी स्तरीय आयोजना, निधियों और कार्यों का हस्तांरण, निर्माण उप-नियमों की समीक्षा, शहर स्तर पर मध्यस्तरीय वित्तीय संस्थाएं बनाना, यूएलबी की क्रेडिट रेटिंग, नगर पालिका कर और शुल्क में सुधार और लेवी में सुधार और प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, ऊर्जा और जल लेखा परीक्षा और एसबीएम जैसे 11 सुधारों के एक सेट संबंधी अधिवेश दिया गया है। अमृत 2.0 मिशन ने परिसंपत्ति कर और प्रयोक्ता शुल्क में आवश्यक सुधार और जल संचयन, शहरी शासन और ऊर्जा दक्षता पर प्रोत्साहन आधारित अनिवार्य सुधार भी जोड़े हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग (XV एफसी) ने भी, अपनी सिफारिशों में, शहरी शासन में सेवा प्रदायगी, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से यूएलबी की राजकोषीय और संस्थागत क्षमताओं को सशक्त करने की आवश्यकता को रेखांकित किया था। इन सिफारिशों के अनुसरण में, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने व्यय विभाग (डीओई) के साथ समन्वय करके देश भर में यूएलबी की वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों और शासन फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए हैं। इन सुधारों में संपत्ति कर सुधार, राजकोषीय पारदर्शिता और जवाबदेह, निधि प्रवाह और पीएफएमएस एकीकरण, शासन और संस्थागत सशक्तिकरण, डिजिटल शासन और डेटा प्रणाली, दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए कार्य निष्पादन-आधारित सुधार और क्षमता निर्माण और संस्थागत सहायता शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग (XV एफसी) अनुदान प्राप्त करने के लिए विधिवत निर्वाचित यूएलबी होने का एक पूर्व-शर्त बनाया गया है। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे निर्धारित समय-सीमा में राज्य वित्त आयोग का गठन और संचालन करें।

*****